संख्या–481 /XV-2/01(07)/2006(डेरी)

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 **देहरादूनः दिनांक 28 सितम्बर, 2017:**

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में महिला डेरी विकास योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1043–45/लेखा प्रस्ताव आयो0 महिला डेरी /2017–18, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु डेरी विकास विभाग को महिला डेरी विकास योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत रू0 45.77 लाख (रूपये पैंतालिस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर प्रादिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0सं0	मद का नाम	स्वीकृति धनराशि
1.	महिला दुग्ध समितियों का गठन	–
2.	सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन	37.165
3.	प्रपोलस्न चार्जेज	2.090
4.	एक्सटेंशन एण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	3.075
5.	ओवरराइडिंग कॉस्ट	3.440
	योग–	**45.77**

1. सुपरवीजन, मॉनीटरिंग मद की धनराशि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य महिला समितियों पर समितियों के पर्यवेक्षण अथवा कार्यालय में कार्यरत अनुसूचित जाति के कार्मिकों के वेतन–भत्ते का भुगतान पर व्यय नहीं की जायेगी यदि जनजाति बाहुल्य समितियों के पर्यवेक्षण एवं कार्यालय की पृथक से व्यवस्था की गई है तब ऐसे पर्यवेक्षण एवं कार्यालय में लगे कार्मिकों के वेतन–भत्ते का भुगतान किया जा सकता है।
2. उक्त स्वीकृति जनपदवार सम्बन्धित सहायक निदेशक, डेरी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि की जायेगी तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या सहित सूचना प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध करायी जाय।
5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों एव क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
6. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वर्णित शासनादेशों का अनुपालन सुसनिश्चित किया जाय।
7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–01 (लेखा नियम) आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाय।
8. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
9. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमे स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–102–डेरी विकास परियोजनाएं–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0202–महिला डेरी विकास योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या– 481 (1)/XV-2/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. वित्त अनुभाग–4, /समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. विभागीय पत्रावली।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।